न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 67/2006/223 आर टी ए

1. जलावरसिंह पुत्र गोविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. कौरसिंह पुत्र गोविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. बिकरसिंह पुत्र करनैलसिंह निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सरजीत सिंह उर्फ जीतसिंह पुत्र करनैलसिंह निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. गुरजन्टसिंह पुत्र करनैलसिंह निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. नाजरसिंह पुत्र करनैलसिंह निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. करतारसिंह पुत्र बचनसिंह निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. धिचरसिंह पुत्र बचनसिंह निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. गुरदेवसिंह पुत्र करनैलसिंह निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. दर्शनसिंह पुत्र करनैलसिंह निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. नसीबकौर पत्नि अजमेरसिंह पुत्री करनैलसिंह जटसिख निवासी सिबीया तहसील व जिला भढिण्ड़ा।
10. करतारकौर पत्नि शेरसिंह पुत्री करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
11. सुन्दरकौर पत्नि गुरदीपसिंह पुत्री करनैलसिंह निवासी भिट्टीवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर।
12. गुरदयालकौर बेवा मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. ठानासिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. रणजीतकौर बेवा सुखदेवहि पुत्री मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. बूटासिंह पुत्र सुखदेवसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. मूर्ति पुत्री मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
17. गुडडी पुत्री मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

18. काकी पुत्री मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. निक्को पुत्री मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. अप्पो पुत्री मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. रेशमसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
22. सुखमन्दरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
23. जसकौर पत्नि सरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
24. हरनेकसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
25. अजमेरसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
26. बलवीरसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
27. हरिसिंह पुत्र गुजरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
28. मिठूसिंह पुत्र बगूसिंह पुत्र मूलकसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
29. जरनैलसिंह पुत्र बगूसिंह पुत्र मूलकसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
30. रणजीत सिंह पुत्र मानसिंह पुत्र बगूसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
31. राजसिंह पुत्र मानसिंह पुत्र बगूसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
32. जगसीरसिंह पुत्र गुरनामसिंह पुत्र बगूसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
33. तेजासिंह पुत्र चन्दसिंह पुत्र सरूपसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
34. गुरदेवसिंह पुत्र चन्दसिंह पुत्र सरूपसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
35. हरदेवसिंह पुत्र चन्दसिंह पुत्र सरूपसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
36. जलावरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
37. दर्शनसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

38. कलवंतसिंह पुत्र सुखमन्द्रसिंह पुत्र नंदसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
39. कुलदीपसिंह पुत्र जंगीरसिंह पुत्र चननसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
40. बलविन्द्रसिंह पुत्र जंगीरसिंह पुत्र चननसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
41. जगदीशसिंह पुत्र जंगीरसिंह पुत्र चननसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
42. सरजीतसिंह पुत्र चननसिंह पुत्र सरूपसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
43. सरजीतसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
44. सरजीतसिंह पुत्र धन्नासिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
45. कौरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
46. पालासिंह पुत्र जोरासिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
47. भोलासिंह पुत्र जोरासिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
48. अजमेरसिंह पुत्र जोरासिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
49. गुरमेलसिंह पुत्र जोरासिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
50. बलवीरकौर पुत्री जोरासिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
51. पुन्नी पुत्री जोरासिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
52. मेजरसिंह पुत्र जगरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
53. नाजरसिंह पुत्र जगरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
54. सरजीत कौर उर्फ सीतो पुत्री जगरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
55. अमरजीतकौर पुत्री जगरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
56. जसकरणसिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
57. बलदेवसिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

58. हरनामसिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
59. जीतसिंह पुत्र जलावरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
60. मेजरसिंह पुत्र जलावरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
61. सोहनसिंह पुत्र जलावरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
62. गुरदीप सिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
63. हरदीपसिह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
64. सरदूलसिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
65. अजायबसिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
66. तेजासिंह पुत्र शोभासिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
67. स्वर्णसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
68. भगवानकौर बेवा करतारसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
69. प्रबन्धक श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नुकेरा।
70. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.पी.) हनुमानगढ़।
71. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

——रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.03 व 27.01.04 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया प्र0सं0 173/2002 अनवानी बिकरसिंह आदि बनाम गुरदेवसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 8

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 71

निर्णय दिनांकः–01.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए सपठित धारा 48/49 आरटीए पेश किया, प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद वादीगण डिक्री किये जाने पर कोई एतराज नही किया। प्रतिवादी सं. 1, 2, 6 ता 65 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वाद वादीगण स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व कभी भी कोई सूचना या नोटिस अपीलांट को नही दिये तथा एकतरफा तौर पर निर्णय पारित किया है जो न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ होने से खारिज योग्य है। चक 9 एनकेआर के खाता सं. 18/19 मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2/रेस्पो0 सं. 1 ता 4, 7, 8 का कोई हक व हिस्सा नही था परन्तु विचारण न्यायालय ने खाता सं. 18/19 प.न. 130/154 मु.न. 32 कि.न. 5 वादी सं. 5 करतारसिंह के पक्ष मे बिना उसका हक हिस्सा व बिना किसी आधार के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। जबकि उक्त किला नं. 5 अपीलांट के कब्जा काश्त मे है। विचारण न्यायालय ने बिना पूर्ण जांच व बिना मौखिक साक्ष्य लिये तथा दावा मे चाही गई इस्तदुआ व कथन के अपीलांट के हक व हिस्सा की भूमि वादी सं. 5 करतारसिंह को दिये जाने का निर्णय व डिक्री पारित कर अहम कानूनी भूल की है। अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस के अन्त मे कथन किया कि उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान दिनांक 24.06.06 को हुआ तब दिनांक 26.06.2006 को उक्त निर्णय व डिक्री का नकल प्राप्त की है। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी कन्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 7 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि वादीगण/रेस्पो0 सं. 1 ता 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए सपठित धारा 48/49 आरटीए प्रस्तुत किया गया जिसमे वादग्रस्त भूमि के संबंध मे घोषणा एवं खाता तकसीम तथा भूमि के तबादला संबंधी अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 ने उपस्थित आकर जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति दी तथा कोई एतराज जाहिर नही किया। अपीलांटस बावजूद तामील उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तथा अन्य सहकाश्तकारो द्वारा उपस्थित आकर कोई विरोध नही किये जाने पर वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज होने से खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की

पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई अवसर दिये अपीलांट के नाम 9 एनकेआर के खाता सं. 18/19 मे दर्ज भूमि मे से कि.न. 5 की घोषणा रेस्पो0 सं. 5 करतारसिंह के नाम करते हुए खाता तकसीम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये किया गया है। जबकि उक्त चक मे करतारसिंह के नाम कोई भूमि दर्ज ही नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध मे खाता तकसीम बाबत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकार को बिना सुने पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण प्रतीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। परन्तु अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे वर्णित चक 9 एनकेआर के खाता सं. 18/19 के प.न. 130/154 के कि.न. 5 जो की रेस्पो0 सं. 5 करतारसिंह को दिया गया है, के सबंध मे आपत्ति जाहिर की गई है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री चक 9 एनकेआर के खाता सं. 18/19 के कि.न. 5 की सीमा तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 173/2002 अनवानी बिकरसिंह आदि बनाम गुरदेवसिंह आदि मे पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.03 व 27.01.04 को चक 9 एनकेआर के खाता सं. 18/19 के कि.न. 5 की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर रेस्पो0 सं. 5 करतारसिंह को जरिये नोटिस सूचित करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ